

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग
नदी प्रबन्ध समन्वय निदेशालय



Dept. of Water & Power
Central
River Management Commission

दिनांक: 31/07/2023

सेवा में,

श्री राधे श्याम (एडवोकेट),
लॉर्यस चेम्बर ब्लॉक 3,
दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली
पिन कोड :110003.

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आर.टी.आई. आवेदन के संबंध में।

महोदय,

कृपया अपने आर.टी.आई. आवेदन संख्या NIL, दिनांक 07.07.2023 का संदर्भ लें, जो इस कार्यालय में दिनांक 14.07.2023 को उप निदेशक एवं नोडल अधिकारी के पत्रांक A-49012/8/2023/आरटीआई/1076-77, दिनांक 12.07.2023 द्वारा प्राप्त हुआ था और जिस में RTI Act, 2005 के तहत जानकारी मांगी गयी है।

इस संबंध में, यह सूचित करना है की आपके उपरोक्त आर.टी.आई. आवेदन द्वारा मांगी गई सूचना नदी प्रबंध स्कन्ध (मुख्यालय), केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली में उपलब्ध नहीं है।

यदि आप उपरोक्त जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं तो इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के अंदर प्रथम अपीली अधिकरण के समक्ष प्रथम अपील दायर कर सकते हैं जिसका विवरण नीचे दिया है:

निदेशक (नदी प्रबंध समन्वय निदेशालय) एवं प्रथम अपीली अधिकरण, नदी प्रबंध स्कन्ध (मुख्यालय), केंद्रीय जल आयोग, द्वितीय तल (दक्षिण), सेवा भवन, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066, दूरभाष 011-29583211.

भवदीया,

(वेलगा कुमारी)

उप-निदेशक एवं & केन्द्रीय जनता सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

उप निदेशक एवं नोडल अधिकारी, आर.टी.आई. सेल, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।

द्वितीय तल (दक्षिण),सेवा भवन
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066
दूरभाष: 011-29583211
ईमेल: rmdte@nic.in
♣जल संरक्षण-सुरक्षित भविष्य♣



2ndFloor (South)
R.K. Puram, Ne
Tel:
E-m:
♣Conserve Wa